RNI NO. MPHIN/2022/85285
डाक पंजी.क्र. - MP/KDW/93/2026-28

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र
हलधर किसान
स्मार्ट किसान की पहली पसन्द Haldharkisankgn@gmail.com

वर्ष 04 अंक 09 | (मासिक) नवंबर | पृष्ठ-8 | मूल्य, 5 रुपये

भारत.श्रीलंका के बीच कृषि पर जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक

जलवायु-अनुकूल कृषि समेत प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)की पहली बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में कृषि भवन आयोजित हुई। दोनों देशों ने कृषि मशीनीकरण, जैविक एवं प्राकृतिक खेतीए बीज क्षेत्र विकास, कृषि.उद्यमिता, कृषि शिक्षा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, बाज़ार पहुंच और जलवायु.अनुकूल कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। साथ ही संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण के अवसरों की भी खोज की गई।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी और श्रीलंका सरकार के कृषि, पशुधन, भूमि एवं सिंचाई मंत्रालय के सचिव डीपी विक्रमसिंघे ने बैठक की सह.अध्यक्षता की। श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल में कृषि विभाग की अतिरिक्त महानिदेशक जीजीवी श्यामली, कृषि, पशुधन, भूमि एवं सिंचाई मंत्रालय में निदेशक बीएसएस परेरा और श्रीलंका उच्चायोग में काउंसलर गेशान शामिल थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पीपीवीएफआर के अध्यक्ष, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी शामिल हुए ।

बैठक में डिजिटल कृषि, फसल बीमा और कृषि.स्टार्टअप जैसी पहलों पर भी चर्चा हुई। श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के कृषि अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली का दौरा किया।

चर्चा में दोनों देशों में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोग को मजबूत करने की भारत और श्रीलंका की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

भारत की पहली संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची जारी

कृषि विश्वविद्यालयों में 85 प्रतिशत तक फैकल्टी पद खाली

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान बोले- जल्द भरेंगे सभी पद, छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं

हलधर किसान, नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और कृषि विश्वविद्यालय में खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को उन्होंने पूसा, दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए आधुनिक शोध, नवाचार और तकनीक

के माध्यम से कृषि शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में देशभर से 600 से अधिक यूनिवर्सिटी और कालेजों के कृषि छात्र.छात्राएं व फैकल्टी सदस्य शामिल हुए, जिनमें सम्मेलन स्थल पर मौजूद छात्रों के अलावा बाकी विद्यार्थी वर्चुअल जुड़े थे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में इस बात पर चिंता जताई कि कृषि शिक्षा से जुड़े कई पद खाली पड़े हैं। उन्होंने आईसीएआर के महानिदेशक को सभी खाली पद शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। कृषि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा राज्यों में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के खाली पद शीघ्र भरने के लिए वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी भेजेंगे और वहां के कृषि मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि कृषि के छात्र.छात्राओं के भविष्य से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कमियों को दूर करने के लिए कृषि विद्यार्थियों की एक टीम बनाकर आईसीएआर को रचनात्मक सुझाव लेने को कहा है।

कृषि विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय व कॉलेजों की ग्रेडिंग के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। दुनिया में हो रहे बेहतर प्रयोगों का अध्ययन कर अपने देश में भी लागू करने के उपाय आईसीएआर करें। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारतए खेती के विकास के बिना नहीं हो सकता। कृषि का पूरा परिदृश्य बदलना है, जिसमें कृषि के छात्र.छात्राएं भी अपना योगदान दें।

कृषि शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाएंगे- डॉ. एमएल जाट

आईसीएआर के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉ. एमएल जाट ने कहा कि जो संस्थान पर्याप्त फैकल्टी तथा सुविधाओं के बिना संचालित हो रहे हैं, उन कमियों को भी दूर किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 15 फीसदी से लेकर 85 फीसदी तक पद खाली हैं। इनमें बड़ी तादाद राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों की है। निजी विश्वविद्यालयों को लेकर भी कई प्रकार की समस्याएं हैं।

कृषि छात्रों से संवाद

कृषि शिक्षा प्रभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीएआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कृषि छात्र सम्मेलन में कृषि छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और केंद्रीय कृषि मंत्री से सीधा संवाद किया। विद्यार्थियों ने कृषि क्षेत्र में आ रहे बदलावों, नई तकनीकों व सरकार की नीतियों से जुड़कर आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही अपनी समस्याएं भी बताई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने छात्र. छात्राओं की समस्याओं का समुचित समाधान करने की बात कही। सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिक, प्राध्यापक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर तथा कृषि विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी भी शामिल हुए और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी वर्चुअल शामिल हुए।

खुद के देश में पाबंदी के बाद भी यूरोपीय कंपनियां धड़ल्ले से कर रहीं प्रतिबंधित कीटनाशक का निर्यात!

हलधर किसान

नई दिल्ली।

चीन, अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े कीटनाशक निर्यातक हैं। वर्ष 2024 में चीन ने 20.9 प्रतिशत, अमेरिका ने 11.2 प्रतिशत और भारत ने 9.8 प्रतिशत कीटनाशकों का निर्यात किया। इसके बाद शीर्ष 15 कीटनाशक निर्यातकों में 9 यूरोपीय देश हैं। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यूरोपीय यूनियन के देशों ने जिन कीटनाशकों को इंसानों और पर्यावरण के लिए खतरनाक मानकर अपने यहां प्रतिबंधित किया है, वे खुद धड़ल्ले से उनका निर्यात दूसरे देशों को कर रहे हैं। ऐसा तब है जब यूरोपियन कमीशन ने पांच साल पहले इस प्रैक्टिस को खत्म करने का वादा किया था।

सिविल सोसाइटी संस्था अनअर्थ्ड और पब्लिक आई की एक नई जांच से पता चलता है कि कैसे यूरोपीय कंपनियों ने पिछले साल इयू में प्रतिबंधित 75 अलग.अलग केमिकल वाले कीटनाशकों का निर्यात किया। यह संख्या 2018 की तुलना में लगभग दोगुनी है। इन कीटनाशकों का आयात करने वाले देशों की संख्या में भी इस दौरान बढ़ोतरी हुई है।

अनअर्थ्ड के मुताबिक, पिछले सात सालों में ईयू ने दर्जनों ऐसे कीटनाशकों पर बैन लगा दिया जिन्हें पहले यूरोपियन खेतों में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद में इनसे इंसानों की सेहत या पर्यावरण को होने वाले खतरों के सबूत सामने आए थे। इसका कहना है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईयू ने अभी तक उन कंपनियों पर रोक नहीं लगाई है जो इन केमिकल्स को बनाते और एक्सपोर्ट करते हैं।

जर्मनी प्रतिबंधित कीटनाशकों का सबसे बड़ा निर्यातक

जर्मनी प्रतिबंधित केमिकल वाले कीटनाशकों का सबसे बड़ा निर्यातक है। उसने पिछले साल लगभग 50,256 टन का निर्यात किया। उसके बाद 16,477 टन निर्यात के साथ बेल्जियम दूसरे और 12,883 टन निर्यात के साथ स्पेन तीसरे नंबर पर थे।

वैसे तो वर्ष 2024 में ईयू में प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स का सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को हुआ, लेकिन कुल निर्यात का तीन.चौथाई हिस्सा कम या मध्य आय वाले देशों को गया। इनमें ब्राजील 14,643 टन, रूस 4,257 टन, चीन 3,040 टन, भारत 2,086 टन, कोलंबिया 1,905 टन, इंडोनेशिया 1,844 टन और फिलीपींस 2,277 टन, भी शामिल हैं। निर्यात किए गए कीटनाशकों में जो नुकसानदायक केमिकल पाए गए हैं उनमें 1,3.डाइक्लोरोप्रोपीन, ग्लूफोसिनेट, मैंकोजेब पिकोक्सीस्ट्रोबिन और एपॉक्सीकोनाजोल आदि शामिल हैं।

प्रतिबंधित केमिकल और उनसे नुकसान

मैंकोजेब केमिकल एक फंगीसाइड है जिसे 2020 के आखिर में बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसे प्रजनन के लिए खतरनाक पाया गया। यह फर्टिलिटी और गर्भ में पल रहे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ईयू कंपनियों ने पिछले साल 59 देशों को 8,500 टन से ज्यादा मैंकोजेब निर्यात के नोटिफिकेशन जारी किए थे।

दक्षिण अफ्रीका की संस्था विमेन ऑन फार्म्स प्रोजेक्ट यूरोप से साइनामाइड का निर्यात बंद करवाने के लिए कैंपेन चला रही है। यूरोपियन यूनियन में 2008 से साइनामाइड के इस इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि यह स्प्रे करने वालों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका समेत अनेक देशों को अंगूर के बागों में इस्तेमाल के लिए जर्मनी से इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। पिछले साल एक प्रमुख कंपनी ने 6,700 टन एग्रीकल्चरल साइनामाइड प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट नोटिफिकेशन जारी किए थे। इसका लगभग दो.तिहाई हिस्सा पेरू, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए था।

प्रतिबंधित कीटनाशकों में वीडकिलर ग्लूफोसिनेट भी है, जिसे ईयू ने 2018 के मध्य में बैन कर दिया था। इसे भी प्रजनन के लिए खतरनाक पाया गया था। फिर भी पिछले साल एक बड़ी कंपनी ने कनाडा, ब्राजील, अमेरिका, कोलंबिया और इंडोनेशिया समेत 26 देशों को लगभग 20,000 टन ग्लूफोसिनेट आधारित पेस्टिसाइड निर्यात करने का प्लान जारी किया था। इयू के नीति निर्माता हाल ही इस नतीजे पर पहुंचे कि थियामेथोक्साम और क्लोथियानिडिन केमिकल जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

अनअर्थ्ड के मुताबिक, एक्सपोर्ट नोटिफिकेशन से पता चलता है कि प्रतिबंधित कीटनाशकों का निर्यात रोकने के यूरोपियन कमीशन के वादे के बाद इसका निर्यात बहुत बढ़ गया है। पिछले साल ईयू कंपनियों ने 122,000 टन प्रतिबंधित कीटनाशक एक्सपोर्ट करने का प्लान जारी किया, जो 2018 के मुकाबले 50 प्रतिशत ज्यादा है। इस दौरान खेती में इस्तेमाल वाले प्रतिबंधित केमिकल की संख्या 41 से 83 प्रतिशत बढ़कर 75 हो गई। वजन के लिहाज से देखा जाए तो आधे से ज्यादा 58 प्रतिशत निर्यात कम और मध्य आय वाले देशों को किया गया।

कंपनियों का तर्क. विकसित देशों ने दी है मंजूरी

कुछ निर्यातक कंपनियों ने अनअर्थ्ड और पब्लिक आई को बताया कि ईयू के प्रतिबंध में केमिकल की सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उनके प्रोडक्ट उन देशों में सुरक्षित और कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां उन्हें एक्सपोर्ट किया गया।

कंपनियों का तर्क है कि अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे देशों में एडवांस रेगुलेटरी सिस्टम हैं जिन्होंने यूरोप में प्रतिबंधित कई केमिकल के इस्तेमाल को मंजूरी दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल फ्रांस और बेल्जियम उन देशों में हैं जो यूरोपियन कमीशन पर प्रतिबंधित केमिकल के निर्यात पर रोक लगाने का दबाव डाल रहे हैं। उनका कहना है कि चुनिंदा देशों के प्रतिबंध लगाने से बात नहीं बनेगी, इसके लिए ईयू के स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है। होता यह है कि कंपनियां ईयू के उन देशों में अपनी ही सब्सिडियरी को निर्यात करके प्रतिबंध से बच सकती हैं जहां प्रतिबंध नहीं है। वहां से कंपनियां उन केमिकल को ईयू से बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं।

खेतों में घटते आर्गेनिक कार्बन से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत

नई दिल्ली।

पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। छोटे.छोटे जीवों और पेड़.पौधों के लिए मिट्टी जीवन का आधार है। वहीं मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में ऑर्गेनिक कार्बन एक आवश्यक तत्व है। लेकिन इंसानी गतिविधियों के बढ़ने और केमिकल युक्त खाद के इस्तेमाल से मिट्टी में आर्गेनिक कार्बन के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हाल ही में जर्मनी की लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि बढ़ती इंसानी गतिविधियों के चलते प्राकृतिक तौर पर मिट्टी में मौजूद कार्बन भंडार लगभग 24 फीसदी तक घट गया है। यह कमी लगभग 344 अरब मीट्रिक टन ऑर्गेनिक कार्बन के बराबर है। यह एक ऐसा आंकड़ा है, जो पिछले पचास सालों में दुनिया भर में कोयला, तेल और गैस से हुए कुल कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक भारत में मिट्टी के अम्लीय होने से अगले 30 सालो में मिट्टी की ऊपरी 0.3 मीटर सतह से 3.3 बिलियन टन अकार्बनिक कार्बन का नुकसान हो सकता है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें मिट्टी में मौजूद कार्बन के भंडार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने की जरूरत है।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने उपग्रह के डेटा, भूमि के इस्तेमाल के रिकॉर्ड और मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से वैश्विक स्तर पर कार्बन भंडार का अनुमान तैयार किया। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि जंगलों की कटाई, खाद्यान सुरक्षा के लिए खेती के विस्तार और बढ़ती चारागाहों की जरूरत के चलते मिट्टी के आर्गेनिक कार्बन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वहीं जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में बदलाव और एक्स्ट्रीम इवेंट्स के मामले तेजी से बढ़े हैं। बाढ़ए तेज बारिश और सूखे से भी जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत को नुकसान पहुंचा है।

मिट्टी की अच्छी सेहत मानव स्वास्थ्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। भारत ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, फिर भी भुखमरी, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और गरीबी को दूर करना अभी भी एक चुनौती है। आईआईटी खड़गपुर और देश के कई बड़े कृषि वैज्ञानिकों की ओर से किए गए एक अध्ययन जिसे साइंस डायरेक्ट ने प्रकाशित किया है, में पाया गया गया कि भारत में मिट्टी में औसत ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा लगभग 0.54 प्रतिशत है, इसलिए ज्यादातर इलाकों में मिट्टी में प्रमुख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर मृदा परीक्षण से पता चलता है कि 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रों में मिट्टी या तो मृदा अम्लता या मृदा क्षारीयता से ग्रस्त हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 29 फीसदी मिट्टी के क्षरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और कई पादप पोषक तत्वों की कमी भारतीय जनसंख्या में कुपोषण को बढ़ा रही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत में छोटे किसानों को नई कृषि तकनीक की आवश्यकता है। पिछले एक दशक में, स्मार्ट सेंसिंग, रोबोटिक्स, रिमोट सेंसिंग आदि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन और तेज़ी से बदलते कृषि अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र जैसे महत्वाकांक्षी सरकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

मिट्टी के हेल्थ में सुधार के लिए जरूरी है सॉइल टेस्टिंग

अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई है। उसमें मौजूद पोषक तत्व पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। इससे पैदावार भी प्रभावित हो रही है। इसलिए किसी भी फसल की बुवाई करने से पहले मिट्टी के हेल्थ की जांच करना बहुत जरूरी है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का पता आसानी से लग जाएगा। ऐसे भी दुनिया भर में एक तिहाई से अधिक मिट्टी अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल के चलते खराब हो गई है। अगर इसी गति से मिट्टी को नुकसान पहुंचता रहा तो दुनिया भर में भुखमरी और इकोलॉजी का नष्ट होना गंभीर मुद्दा बन जाएगा।

मिट्टी इस धरती पर जीवन का आधार है, यह भोजन के उत्पादन के साथ.साथ इको सिस्टम में तालमेल और जलवायु पर नियन्त्रण बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि ओद्यौगिक खेती की बात करें तो इसमें सिर्फ.शॉट टर्म मुनाफे पर ध्यान दिया जाता है, फिर चाहे मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट ही क्यों न हो जाए। लोग अपने मुनाफे के लिए खेती के दौरान मोनोकल्चर, जरूरत से ज्यादा जुताई और रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी को गंभीर नुकसान पहुंचता हैं। अगर इस दिशा में जल्द से जल्द कदम न उठाए गए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। क्योंकि मिट्टी जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी कंपोनेंट है। इस समस्या का एकमात्र समाधान है फसल चक्र और कवर फसलों को अपनाना, जिससे मिट्टी के क्षरण जैसे नकारात्मक प्रभावों में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही मिट्टी की उत्पादकता भी बढ़ेगी।

फसल कवर है बहुत जरूरी-

मिट्टी के गिरते हेल्थ में सुधार लाने के लिए मौजूदा वक्त में कवर फसलें बेहद जरूरी हो गई हैं। कवर फसलों के तहत किसान वेच मटर, राई, जई, ब्रेसिका, मूली और सरसों की बुवाई कर सकते हैं। इससे मिट्टी के हेल्थ में सुधार आएगा, क्योंकि ब्रेसिका की जड़े गहरी होती हैं, जो मिट्टी को स्थिर करती हैं। साथ ही यह मिट्टी में मौजूद पोषक पदार्थों को बहने से रोकती हैं। ये फसलें मिट्टी के प्रदूषण को रोकने में भी कारगर हैं। इनमें मौजूदा ओर्गेनिक कंपोनेंट मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स को पोषण देते हैंए जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसके अलावा, ये खरपतवार को उगने और कीटों को पनपने से रोकते हैं। यानी ये प्राकृतिक कीट नियन्त्रक की तरह काम करते हैं।

फसल चक्र केफायदे

फसल चक्र भी मिट्टी के हेल्थ के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। मोनोकल्चर यानी लम्बे समय तक मिट्टी में एक ही फसल बोते रहने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है। साथ ही मिट्टी के अपरदन, बीमारियों और कीटों के पनपने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके बजाए अगर फसलों को चक्र में बोया जाए, तो मिट्टी में पोषक पदार्थ बने रहते हैं। क्योंकि अलग.अलग फसलों से मिट्टी की संरचना को अलग.अलग फायदे मिलते हैं। जैसे कुछ पौधों की जड़ें मिट्टी में जल निकासी को बढ़ाती हैं।

फसल चक्र में बोई जाने वाली कुछ फसलों से मिट्टी को पोषण मिलता है। ऐसे में रसायनिक कीटनाशकों की जरूरत भी कम हो जाती है। इसके अलावा फसल चक्र खरपतवार को उगने से भी रोकता है। इसलिए शाकनाशी की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस तरह मिट्टी खुद.बखुद स्वस्थ रहती है और इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। ऐसे में कार्बन के अवशोषण से जलवायु नियन्त्रण में भी मदद मिलती है। कुल मिलाकर ये दोनों तरीके निश्चित रूप से स्थायी खेती को बढ़ावा देते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।

खेती के सस्टेनेबल तरीकों को अपनाएं

खेती के सस्टेनेबल तरीकों से दुनिया की भर की अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण को फायदा होता है। कवर फसलों और फसल चक्र को अपनाने से किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई पर कम खर्च करना पड़ता है। अध्ययनों से साफ़हो गया है कि ऐसा करने से खेती में उत्पादकता और मुनाफा बढ़ता है। साथ ही मिट्टी में ओर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन की समस्या कम होती है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है।

परागण और जैव विविधता को भी बढ़ावा

वहीं, मिट्टी के हेल्दी होने से परागण और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। हालांकि खेती के इन तरीकों के बारे में जागरुकता की कमी होना एक बड़ी चुनौती है। जिसकी वजह से किसान इसके फायदों को समझ नहीं पाते हैंए ऐसे में सरकार को इन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक प्रोग्राम चलाने चाहिए। कुल मिलाकर कवर फसलें और फसल चक्र ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर किसानों एवं नीति निर्माताओं के बीच लम्बे समय से वाद.विवाद जारी है। इन समाधानों की अनदेखी भावी पीढ़ियों के लिए भोजन की कमी का गंभीर संकट पैदा कर सकती है।

कृषि आदान विक्रेताओं को दीपावली का तोहफा अब प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की नही लगेगी फीस

कृषि आदान विक्रेता संघ के प्रयासों से शासन ने जारी किए आदेश

हलधर किसान, इंदौर

(श्रीकृष्ण दुबे)।

कृषि आदान विक्रेता संघ के प्रयासों से कृषि आदान विक्रेताओं को दीपावली पर शासन स्तर पर बड़ा तोहफा मिला है। लंबे समय से मप्र में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर 7500 रुपए की बड़ी रकम चुका रहे व्यापारियों को इस नियम में राहत मिली है।

जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे इंदौर ने बताया कि कृषि आदान विक्रेता संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री के नेतृत्व में व्यापारियों की शिकायत के बाद संगठन लंबे समय से केंद्र और प्रदेश सरकार से इस बेवजह हो रही शुल्क उगाही के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहा थाए अंततरू संगठन के प्रयासो को जीत मिली है। अब यह राशि नही चुकानी होगी।

प्रदेश संगठन के बारण्बार प्रयास करने के बाद यह स्पष्ट निर्देश जारी किए गए है कि कीटनाशक नियम 1968 एवं नियम 1971 में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की कोई फीस नहीं ली जा सकती है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष कलंत्री ने बताया संगठन द्वारा कई बार बताया जा चुका है कि कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत धारा 10 (4) के तहत प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की कोई भी फीस लेने प्रावधान नहीं है, इसके बाद भी प्रदेश के कई जिलों में 500 प्रति प्रिंसिपल सर्टिफिकेट या 500 प्रति कीटनाशक एवं अधिकतम 7500 या 100 ली जाती थी।

प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राजपुत ने बताया प्रदेश संगठन द्वारा संचालक कृषि को पत्र देकर स्पष्टीकरण करने की मांग की जाती रही, उसी परिप्रेक्ष्य में संचालक कृषि भोपाल ने 18/9/ 2025 को एक पत्र जारी करके समस्त संचालक कृषि को निर्देश दिया गया था कि कीटनाशी नियम 1971 के अनुसार कार्य करें। लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होने से पुनरू प्रदेश संगठन द्वारा निवेदन किया गया किए इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा जावे कि कीटनाशक नियम में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की कोई भी फीस नहीं ली जा सकती है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए संचालक कृषि भोपाल ने मध्य प्रदेश का समस्त उपसंचालक कृषि को पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कीटनाशक अधिनियम 1968 में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की फीस लेने का प्रावधान नहीं है तदानुसार कार्वाई करें।

इसके बाद भी यदि किसी जिले में उप संचालक कृषि का द्वारा प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोडने् की कोई भी डिमांड की जाती है तो यह जिला संगठन की कमजोरी होगी कि वह उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं । प्रवक्ता संजय रघुवंशी ने अपील करते हुए कहा कि सभी जिला संगठन के पदाधिकारी उपरोक्त पत्रों की कॉपी निकालकर जिला संगठन के लेटर पैड पर पत्र लिखकर उप संचालक कृषि को प्रेषित करें एवं निर्देश निवेदन करें कि प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की कोई भी फीस लेने का नहीं लेने का स्पष्ट आदेश जारी किया जा चुका है इसे जिले में लागू किया जावे।

गन्ना किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ . अरूण यादव

पानवा में गन्ना उत्पादक किसान संगोष्ठी का आयोजन

हलधर किसान. खरगोन मप्र।

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लिमिटेड, शक्कर कारखाना द्वारा 24 अक्टूबर को ग्राम पानवा में गन्ना उत्पादक क्षेत्र पानवा, धरमपुरीए बाकानेर, ठिकरी, दवाना, कुआ, क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए गन्ना किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री एवं संस्था अध्यक्ष अरुण यादव कहा कि शक्कर कारखाना सदैव किसानों के हितों की रक्षा और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कटिबद्ध है। श्किसान देश की रीढ़ हैं और गन्ना उत्पादन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है।

संगोष्ठी के दौरान क्षेत्र के किसानो के द्वारा समय से गन्ना क्रय किये जाने की मांग की गई श्री यादव द्वारा किसानों को आश्वसत किया गया की आपका गन्ना समय पर क्रय किया जावेगाए तथा आगामी वर्षो में भी गन्ना खरीदी करने के लिये कटिबद्ध है। कारखाने के सुचारू संचालन के लिये किसानो से अधिक से अधिक गन्ना बुवाई करने तथा पेराई सत्र में गन्ना प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया गया। श्री यादव ने किसानों से अपील की कि वे समय पर गन्ना पंजीयन कराएं, नई गन्ना किस्मों को अपनाएं ।

कार्यक्रम में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा गन्ने की नवीनतम प्रजातियों, कीट एवं रोग प्रबंधन, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजनाए की जानकारी दी गई। किसानों के प्रश्नों के उत्तर भी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए। अंत में कारखाने के अध्यक्ष ने सभी अतिथियों एवं किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी संगोष्ठियों से किसान और संस्था के बीच समन्वय और विश्वास मजबूत होता है। संचालक मंडल के सदस्य, महेन्द्र सोलंकी, संजय पटेल, गन्ना विभाग के प्रबंधक श्रीपाल गुर्जर, उप प्रबंधक केएम यादव एवं क्षेत्र के गन्ना उत्पादक कृषक दयाराम यादव ग्राम सेगवाल, ओम पाटीदर ग्राम कुआ, विरेन्द्रसिह सोलंकी ठिकरीए उत्तम सिह तोमर एकलवारा, धन्नालाल पाटीदार बगढीपुरा एवं सेकडो गन्ना उत्पादक कृषक मौजूद रहे।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने खरीफ2025-26 के लिए दलहन.तिलहन की खरीद योजनाओं को दी मंजूरी, किसानों को मिलेगी राहत

हलधर किसान

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में दालों एवं तिलहनों की खरीदी योजनाओं को मंजूरी दी है। इन राज्यों के लिए स्वीकृत कुल खरीद राशि 15095.83 करोड़ रुपए है, जिससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा।

इन राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ

उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान सहित कृषि एवं किसान कल्याण की योजनाओं के तहत ये स्वीकृतियां प्रदान की।

बैठक में चर्चा के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना राज्य में मूंग की कुल 4,430 मीट्रिक टन जो राज्य उत्पादन का 25 प्रतिशत है। खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 38.44 करोड़ रुपए की राशि पर स्वीकृति दी। उड़द की शत-प्रतिशत खरीद होगी, वहीं सोयाबीन की 25 प्रतिशत खरीद की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, ओडिशा राज्य में अरहर की 18,470 मीट्रिक टन, खरीदी होगी। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने मूंग 33,000 मीट्रिक टन, उड़द की 3,25,680 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 18,50,700 मीट्रिक टन की कुल मात्रा को क्रमशः 289.34 करोड़ रुपए, 2540.30 करोड़ रुपए और 9,860.53 करोड़ रुपए की कुल लागत पर मंजूरी दी है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में खरीफ 2025-26 के दौरान सोयाबीन की 22,21,632 मीट्रिक टन की मूल्य अंतर भुगतान योजना के तहत लागू होगी, जिसके लिए 1,775.53 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रभाव की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री चौहान ने दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ये मंजूरियां इसलिए दी गई हैं ताकि किसानों को उनकी फसल पर बेहतर लाभ मिल सके और उनकी आय का संरक्षण सुनिश्चित हो,साथ ही किसानों को बाजार के उतार.चढ़ाव से सुरक्षा मिले, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर की खरीद राज्य उत्पादन के 100: तक करने की व्यवस्था के माध्यम से की है, जिससे दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलेगा।

संकटग्रस्त भारतीय जीवों और वनस्पतियों की जारी होगी रेड डेटा बुक

हलधर किसान

नई दिल्ली। देश में वन्यजीवों सहित पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रयासों को भारत ने वैश्विक मंच से न सिर्फ दुनिया को अवगत कराया है, बल्कि यह भी बताया उसने देश से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह नेअबूधाबी में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के विश्व संरक्षण कांग्रेस में संकटग्रस्त वन्यजीवों और वनस्पतियों के संरक्षण की दिशा में भारत के प्रयासों को साझा किया और कहा कि 2030 तक भारत संकटग्रस्त वन्यजीवों व वनस्पतियों की रेडलिस्ट डेटा बुक भी जारी कर देगी। जिसके मूल्यांकन की दिशा में तेजी का काम चल रहा है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने इस मौके पर भारतीय रेटलिस्ट मूल्यांकन के लिए विजनडाक्यूमेंट 2025. 2030 भी जारी किया। मौजूदा समय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रणी संगठन आइयूसीएन ही जीवों और वनस्पतियों की ब्यौरा जुटाती है। साथ ही संकटग्रस्त वन्यजीवों व वनस्पतियों को लेकर वैश्विक रेडलिस्ट भी जारी करती है। जिसमें मौजूदा में 1.63 लाख से अधिक प्रजातियों का मूल्यांकन शामिल है।

28 प्रतिशत से अधिक प्रजातियां को संकटग्रस्त

इनमें करीब 28 प्रतिशत से अधिक प्रजातियां को संकटग्रस्त पाया गया है। इस संगठन से दुनिया के 160 से अधिक जुड़े है। इस सम्मेलन में भारत का यह दृष्टिकोण इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जैव. विविधता के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष के 17 देशों में शामिल है।

देश में जीव.जंतुओं और वनस्पतियों की कितनी हैं प्रजातियां?

देश में जीव.जंतुओं की 104 लाख से अधिक और वनस्पतियों की 18 हजार से अधिक प्रजातियां पायी जाती है। गौरतलब है कि वैश्विक क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत भूभाग होने के बावजूद दुनिया की आठ प्रतिशत वनस्पति और साढ़े सात प्रतिशत जीवों भारत में पाए जाते है।

देश में पहली बार जंगली हाथियों की डीएनए आधारित कराई गई गणना में हाथियों की सटीक संख्या निकलकर सामने आयी है। जिसमें हाथियों की संख्या में पिछली यानी 2017 की गणना से करीब 18 प्रतिशत कम पायी गई है। 2017 में जंगली हाथियों की हुई गणना में जहां देश में औसतन 27312 हाथी पाए गए थे, वहीं इस बार डीएनए आधारित गणना में इनकी संख्या 22,446 पायी गई है।

हालांकि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डीएनए आधारित गणना की पिछली गणना से तुलना को गलत बताया है और कहा कि जंगली हाथियों की पिछली गणना सिर्फएक अनुमान आधारित रहती थी,जबकि इस बार हाथियों की गणना वैज्ञानिक तरीके से कराई गई है। जो पहली बार दुनिया के किसी देश में इतने बड़े स्तर पर कराई गई है।अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 के अनुसार भारत में हाथियों की आबादी 18,255 से 26,645 के बीच है, जिसका औसत 22,446 है।

डीएनए गणना में हाथियों की संख्या में गिरावट

हाथियों की गणना की यह रिपोर्ट वर्ष 2021 में शुरू हुए सर्वेक्षण के करीब चार साल बाद आयी है। इनमें देरी के पीछे बड़ा कारण जटिल डीएनए विश्लेषण और डेटा सत्यापन को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि दुनिया में पाए जाने वाले एशियाई हाथियों की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी अकेले भारत में पायी जाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक देश के पश्चिमी घाट का क्षेत्र अभी भी हाथियों का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। यहां गणना के दौरान 11,934 हाथी पाए गए है। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर.पूर्वी पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ का मैदान था। जहां 6,559 हाथी पाए गए है। वहीं शिवालिक पहाड़ी व गंगा के मैदान में 2,062 हाथी पाए गए है,जबकि मध्य भारत व पूर्वी घाटों में कुल 1,891 हाथी पाए गए हैं। वहीं राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में सबसे अधिक 6,013 हाथी मिले है, जबकि असम में 4,159, तमिलनाडु में 3ए136, केरल में 2,785 और उत्तराखंड में 1,792 हाथी मिले है। गणना में ओडिशा में 912 हाथी मिले है। वहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिलाकर 650 से ज्यादा हाथी मिले है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 97, महाराष्ट्र में 63 हाथियों की एक छोटी आबादी मिली है। गणना में जमीनी सर्वेक्षण, उपग्रह.आधारित मैपग व आनुवंशिक विश्लेषण को मिलाकर तीन चरणों में की गई।

गधो की कमी से चीन का जोड़ा जा रहा कनेक्शन

मध्य प्रदेश में गधों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। हाल ही में हुई पशुधन गणना के अनुसार, राज्य में अब केवल 3,052 गधे बचे हैं। यह संख्या 1997 में 49,289 थी, यानी पिछले तीन दशकों में गधों की आबादी में 94 प्रतिशत की कमी आई है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि गधे कभी ग्रामीण भारत में परिवहन और व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे।

राज्य के 55 जिलों में से नौ जिलों में अब एक भी गधा नहीं बचा है। इन जिलों में दिंडोरी, निवाड़ी, सिवनी, हरदा और उमरिया शामिल हैं। नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा 332 गधे हैं, इसके बाद छतरपुर 232, रीवा 226 और मुरैना 228 का नंबर आता है। विदिशा जहां कभी 6,400 से ज्यादा गधे थे, वहां अब केवल 171 गधे बचे हैं। भोपाल में भी स्थिति खराब है, जहां सिर्फ 56 गधे हैं। गधों की संख्या में कमी के पीछे कोई ठोस अध्ययन नहीं है, लेकिन गुरुग्राम के पशु अधिकार कार्यकर्ता नरेश कादयान ने चेतावनी दी है कि चीन की मांग इस कमी का बड़ा कारण हो सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से गधों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित करने की मांग की है।

महाराष्ट्र में विलुप्ति की कगार पर भेड़िया, 2007 से 2023 के बीच 41 प्रतिशत घटे

विश्व की सबसे प्राचीन और दुर्लभ भेड़िया प्रजाति में शामिल कैनिस ल्यूपस पैलिप्स विलुप्त होने के कगार पर है। इस भारतीय भेड़िए की संख्या जंगलों में तीन हजार के करीब ही बची है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे आधिकारिक तौर संकटग्रस्त मानकर अपनी लाल सूची में शामिल कर लिया है।

आईयूसीएन ने 10 अक्टूबर को भारतीय भेड़िये को लाल सूची में डालने का फैसला भारतीय शोधकर्ताओं के अध्ययन के आधार पर लिया। इसके तहत भारत और पाकिस्तान में ऐसे 10 हजार स्थानों पर भारतीय भेड़ियों की संख्या के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई, जहां पिछले दो दशकों में इनकी आबादी होने का पता लगा था। भारतीय भेड़िया, जिसे आम तौर पर ग्रे वुल्फ कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। यह भेड़िया रेगिस्तानी, घास के मैदानों और सूखे जंगलों में रहता है। यह आकार में अन्य भेड़ियों से थोड़ा छोटा होता है, और इसके शरीर पर हल्के भूरे रंग की खाल होती है।

शोध में पाया गया कि जंगलों में वयस्क भारतीय भेड़ियों की आबादी 2,877 से 3,310 के बीच ही बची है। शोधकर्ताओं ने मौजूदा आबादी का अनुमान लगाया और महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को प्रमुख गढ़ों के तौर पर पहचाना, जहां कुल मिलाकर भारत के लगभग आधे भेड़ियों होने का अनुमान है।महाराष्ट्र के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य में 2007 और 2023 के बीच भेड़ियों की आबादी में 41 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। यानी हर साल 3.1 प्रतिशत की दर से इनकी आबादी कम हो रही है। अध्ययन में भारतीय वन्यजीव संस्थान के डॉ. देशभर के कई वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने डब्ल्यूआईआई के पूर्व डीन डॉ. यादवेंद्र देव विक्रमसिंह झाला के साथ मिलकर काम किया। राइस विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ. लॉरेन हेनेली भी इसमें सह.सहयोगी थीं। आईयूसीएन के आंकलन के मुताबिक, आवास घटने, इंसानों के साथ संघर्ष, बीमारी और जंगली कुत्तों के साथ संकरण के कारण पिछली तीन पीढ़ियों में भेड़ियों की संख्या में गिरावट आई है। डॉ. खान कहते हैं कि आवास का नुकसान और संकरण सबसे बड़े खतरे हैं। कुत्ते-भेड़िया संकरण वास्तविक भेड़ियों की आबादी को सीधे प्रभावित कर रहा है और हम आनुवंशिक रूप से शुद्ध भेड़ियों में लगातार गिरावट देख रहे हैं।

परंपरागत अनुमानों के मुताबिक अब नहीं रहा मौसम का मिजाज

एक दशक में अगर हम प्रकृति के व्यवहार को महसूस करें तो यह स्पष्ट है कि कुछ गंभीर बदलाव आ चुके हैं। आज यह अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि हम किस मौसम को भोग रहे हैं। इस बार की गर्मी को ही देख लीजिए, जो लगभग न के बराबर रही, वसंत ऐसा सूखा बीता जिसकी आहट तक नहीं सुनाई दी और बारिश बेशुमार हुई।

यह सब इसलिए है क्योंकि हमने प्रकृति के संतुलन और उसके नियमों का उल्लंघन किया, सारी सीमाएं तोड़ दीं। परिणामस्वरूप हमने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं कि अब यह समझना मुश्किल हो गया है कि हम किस मौसम में जी रहे हैं। दरअसल ये हैं मानव जनित मौसम! मनुष्य ने अपने कर्मों से प्रकृति का स्वभाव बदल दिया है! आमतौर पर माना जाता है कि सितंबर की शुरूआत के बाद मानसून भारत से वापसी की राह पकड़ लेगा। मगर इस वर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों में एक बार फिर बारिश का कहर जिस रूप में सामने आ रहा है, उससे साफ है कि मौसम का मिजाज अब परंपरागत अनुमानों के मुताबिक नहीं रहा है। बल्कि इस वर्ष देश के कई राज्यों में जिस पैमाने पर बारिश हो रही है, वह पर्यावरणविदों के लिए भी हैरानी का कारण है। बारिश की प्रकृति में असामान्य रूप से तेज बदलाव और इससे होने वाले जानमाल के नुकसान ने बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा है।

भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई लोग अपने घरों में रहने से भी डरने लगे हैं। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष बादल फटने की जितनी घटनाएं सामने आई, वैसा अब से पहले कभी नहीं देखा गया था। पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बरसात ने अपना जैसा रंग दिखाया, वह अप्रत्याशित है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश ने जैसी तबाही मचाई है, वह डराने वाली है। लगातार बरसात की वजह से दार्जिलिंग में कई जगहों पर भयावह भूस्खलन हुआ, जमीन धंस गई। इसमें बीस से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बीते दो.तीन दिनों में बिहार, बंगाल में भी बरसात के कारण बहुस्तरीय संकट पैदा हुआ है। इसके अलावा, नेपाल में भी बरसात, बाढ़ और भूस्खलन के कहर में पचास से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिशए बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई लोग अपने घरों में रहने से भी डरने लगे हैं। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष बादल फटने की जितनी घटनाएं सामने आई, वैसा अब से पहले कभी नहीं देखा गया था। लोगों की नजर में यह अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। देश के अन्य जिन इलाकों में धान और अन्य खरीफ फसलें कटाई के चरण में हैं, वहां बारिश से हुई क्षति के बहुस्तरीय प्रभाव सामने आएंगे। इस उथल.पुथल को बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र बनने और उत्तर.पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का नतीजा भी बताया गया है। मगर तेज रफ्तार से आते बदलाव और उथल.पुथल के संकेत बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। संभव है कि मौसम की गति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बचाव के इंतजाम करके इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है।

अंग्रेजी नववर्ष में चार फरवरी से शुरू होंगे विवाह मुहुर्त, जनवरी में रहेगा खरमास

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन अजमेर

ऐसे तय होते है शुभ लग्न.मुहूर्त

शादी के शुभ लग्न व मुहूर्त निर्णय के लिए वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु एवं मीन लग्न में से किन्ही एक का होना जरूरी है। वहीं नक्षत्रों में से अश्विनी, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, मघा, चित्रा, स्वाति, श्रवणा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा भद्र व उत्तरा आषाढ़ में किन्ही एक जा रहना जरूरी है। अति उत्तम मुहूर्त के लिए रोहिणी, मृगशिरा या हस्त नक्षत्र में से किन्ही एक की उपस्थिति रहने पर शुभ मुहूर्त बनता है।

अजमेर।

कार्तिक शुक्ल एकादशी एक नवंबर शनिवार को श्री हरि विष्णु चार माह बाद योग निंद्रा से जागृत होंगे। भगवान विष्णु के निद्रा से जागृत होने के बाद मांगलिक कार्य आरंभ होगा। नवंबर में 14 मुहुर्त है, जबकि छह दिसंबर के बाद शादी- ब्याह पर फिर करीब डेढ़ माह का विराम लग जाएगा।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप सोनी के अनुसार 11 दिसंबर गुरुवार को पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह के अस्त होने तथा वृद्धत्व दोष के कारण 8 दिसंबर सोमवार से विवाहादि शुभ कार्य नहीं होगा। 2026 के पहले मास जनवरी में खरमास की समाप्ति के बाद एवं शुक्र ग्रह के अस्त होने से शादी.ब्याह नहीं होंगे। एक फरवरी की शाम छह बजे शुक्र के उदित होने के साथ शादी.ब्याह का सिलसिला आरंभ होगा।

शादी में ग्रहों की शुभता जरूरी

शादी.विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वैवाहिक बंधन को सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। इसलिए इसमें शुभ मुहूर्त का होना जरूरी है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शादी के शुभ योग के लिए बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का शुभ होना जरूरी है। रवि गुरु का संयोग सिद्धिदायक और शुभफलदायी होते हैं। इन तिथियों पर शादी-विवाह को बेहद शुभ माना गया है।

ज्योतिषाचार्य सोनी ने कहा कि यदि वर और कन्या दोनों का जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ हो तो उनका विवाह ज्येष्ठ में नहीं होगा। तीन ज्येष्ठ होने पर विषम योग बनता है और ये वैवाहिक लग्न में निषेद्ध है। विवाह माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ एवं अगहन मास में हो तो अत्यंत शुभ होता है।

वर्ष 2026 अधिक मास वाल

ज्योतिषाचार्य सोनी ने बताया 2026 में 12 की बजाय 13 मास होंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस साल दो बार ज्येष्ठ मास आएगा, जिससे पंचांग में कुल विवाह मुहूर्तों की संख्या बढ़कर 81 हो जाएगी। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह हर तीन साल में चंद्र और सौर कैलेंडर के अंतर को संतुलित करने के लिए जोड़ा जाता है। साल 2026 में यह अतिरिक्त महीना 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इससे पहले 2018 में दो ज्येष्ठ और 2023 में दो सावन मास आए थे। अधिक मास के दौरान मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण सभी दिनों को विवाह मुहूर्त के लिए अनुकूल नहीं माना जाता।

विवाह मुहुर्त- नवंबरः 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 दिसंबर- 1,4,5,6

फरवरी- 4, 5, 6 7 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26

मार्चः 2, 4, 5,7, 8, 9, 10, 11, 12,, 13,14

वर्ग पहेली नं. 16 बाएं से दाएं

१	२		■	३	४		५	६
■		■	७			■	८	
९		१०		■	११	१२		■
	■	१३		१४	■	१५		
■	१६	■	१७		१८	■		■
१९		२०	■	२१		२२	■	२३
■	२४		२५	■	२६		२७	
२८		■	२९	३०		■		■
३१					■	३२		

1. ऐतराज (3)
3. विवाह आदि में भेंट के वस्त्र (5)
7. उत्पात (3)
8. चरित्र, स्वभाव (4)
9. न्यायालय (4)
11 योग्य (3)
13. गीत (3)
15. मृत्यु (3)
17. महाराष्ट्र का एक नगर (3)
19. नीचे का विलोम (3)
21 अंजन (3)
24. धोबी (3)
26. एस सुगंधित फूल की बेल जो रात में खिलती और महकती है (4)
28. वायु (2)
29. तड़के, सुबह (3), 31. नासूर (5)
32. नक्षत्र (3)

ऊपर से नीचे.

2. पक्षी (3)
3. क्षण (2)
4. प्रमाण, सुपुर्दगी (3)
5. वश में करना (5)
6. चोट का निशान (2)
7. बातचीत (4)
9. थोड़ा (2)
10. व्यसन (2)
12. मृत्युदेव (2)
14. नाक (3)
16. निश्चिंत, बेफिक्र (5)
18. काले रंग के (4)
20. धूल, रेणु (2)
22. आदत (2)
23. जल (2)
25. बड़ा गांव अथवा छोटा शहर (3)
27. दही का व्यंजन (2)
28. मक्का की यात्रा (2)
30. प्राचीन संस्कृत ग्रंथ (2)

वर्ग पहेली नंबर 15 का हल

१ कु	२ न	बा	■	३ बा	४ द	वि	५ बा	६ द
■	य	■	७ म	स	ला	■	८ र	म
९ म	न	१० चा	हा	■	११ ल	१२ ल	क	■
धु	■	१३ चा	व	१४ ल	■	१५ त	र	णी
■	१६ ग	■	१७ र	ह	१८ म	■	ना	■
१९ रा	ज	२० मा	■	२१ र	ज	२२ नी	■	२३ पौ
■	२४ व	स	२५ न	■	२६ दू	र	२७ भा	ष
२८ बं	द	■	२९ के	३० स	र	■	वु	■

बीज कानून पाठशाला

प्रस्तावित बीज अधिनियम.2019 के संदर्भ में नकली व मिसब्रांड (कूटनामी) बीज

हलधर किसान इंदौर।

19 मार्च 1963 में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय स्तर पर सर्वप्रथम बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण विपणन की एक सुसंगठित संस्था नेशनल सीड्स कारपोरेशन की स्थापना की। इसके 1382 दिन बाद 30/12/1966 को बीज अधिनियम की रचना की जिसका उद्देश्य बीज की गुणवत्ता कायम रखना था। इस अधिनियम में कोई मिसब्रांड तथा नकली बीज की परिभाषा नहीं थी मात्र मानक या अमानक बीज का उल्लेख था। आजकल सोशल मीडिया पर लोग चटखारे लेकर बीज व्यापारियों की अपकृति फैलाने में नकली बीज/ मिसब्रांड बीज का उल्लेख करते हैं। कृषि अधिकारी भी कीटनाशी अधिनियम 1968 या उर्वरक नियन्त्रण आदेश

.1. 1985 के आधार पर बीज में भी मिसब्रांड (कूटनामी) बीज का उल्लेख करते हैं। बीज अधिनियम 1966 में दण्ड/शास्ती सजा कम होने के कारण अधिनियम बिना दान्त का शेर रह गया है। बूढ़े शेर को गीदड़ भी गुर्राने लगते हैं क्योंकि उन्हें बूढ़े शेर की क्षमता का अन्दाजा हो गया है अतः हमारा बीज अधिनियम 1966 प्रभावहीन होने के कारण बिना दान्त के बूढ़े शेर के समान रह गया। अतः व्यापारियों में इसके प्रति कोई भय नहीं रहा। कुछ राज्य सरकारों ने जैसे महाराष्ट्र-हरियाणा और अब पंजाब ने बीज अधिनियम.1966 की शास्ती धारा.19 में अनाधिकृत होते हुए संशोधन करने का असफल प्रयास किये हैं। इन राज्य सरकारों द्वारा संशोधन की प्रक्रिया अपनाने में केन्द्रीय कृषि मन्त्री के संज्ञान में आया है कि अब सीड बिल.2019 को पास किया जाए। इस सीड बिल में डपेइतंदक बीज की निम्न परिभाषा दी है.

3. अन्य कोई बीज जो अन्य किसी किस्म के विकल्प के रूप में या अन्य किसी किस्म से मिलती जुलती हो और जिस नाम से वह बैची जा रही है वह स्पष्टतया तथा शुद्ध रूप में लेबल न की गई हो।

टीका- किसी शासकीय संस्था की या किसी निजी कम्पनी की लोक प्रिय किस्म का रातोंरात नाम बदल कर प्रस्तुत किस्म का बीज कूटनामी बीज कहलायेगा।

अन्य देश या प्रदेश की किस्म बता कर बीज वितरण करना कूटनामी बीज कहलायेगा।

टीका - विक्रय की जा रही किस्म को बाहरी देशों, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, ताईवान या अन्य प्रदेशों की किस्म कह कर बेचना कूटनामी बीज कहलायेगा।

किसी अन्य किस्म को अपना नाम देकर विक्रय करना।

टीका -. किस्म का ऐसा नाम रखकर बेचना जो किसी दूसरी कम्पनी ने पहले ही नाम दे रखा हो। किसने पहले नाम दिया इस विवाद को तय करने के लिये ट्रेड मार्क किसने पहले कराया इसके प्रमाण देने होंगे या भारत सरकार में पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम.2001 के अधीन कौन पहले पंजीकृत हुआ उसका दावा सच्चा माना जायेगा।

4. किस्म के लेबल पर अंकित कर या अन्य प्रकार से झूठा दावा किया गया हो।

टीका किस्म के पैकेजिंग पर अधिकमि उत्पादन जैसे आजकल सीरीज की गेहूं की किस्मों में अधिकतम उपज क्षमता बढ़ा.चढ़ा कर बता कर ठगी कर रहे हैं या रोग रोधिता कीट से मुक्ति आदि गलत सूचना पाई गई तो बीज कूटनामी माना जायेगा।

5. बीज के प्रत्येक नग पर पैकेजिंग के अन्दर कई प्रकार के बीज रखे हैं तो बाहर की पैकेजिंग पर प्रत्येक बीज की सूचनाएं नहीं लिखी हैं तो वह बीज कूटनामी है।

टीका - बीटी कपास के पैकेट के अन्दर नॉन बीटी का पैकेट भी रखा जाता है अतः उसके बाहरी पैकेट पर बीटी तथा नॉन बीटी के मानक अंकित किये जाते हैं। ऐसा न होने पर वह कूटनामी बीज माना जायेगा। नेशनल सीड्स कारपोरेशन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सब्जियों के किटस वितरित करती है उसमें जितने भी प्रकार के बीज हैं उनका विवरण एवं मानक लेबल पर होने चाहिए अन्यथा बीज कूटनामी माना जायेगा।

6. बीज के पात्र या उस पर लगे लेबल पर बीज की गुणवत्ता के बारे झूठी बातें लिखी हैं या भ्रामक बातें लिखी हैं ऐसा बीज मिब्रांड कहलायेगा।

टीका -. बीज के पात्र या लेबल पर लिखना कि बीज की शिकायत आने पर केवल बीज के मूल्य तक की गारन्टी है, किस्म के बारे बढ़ा.चढ़ा कर विशेषताएं लिखना भ्रामक सूचनाएं हैं, अतः बीज कूटनामी है।

7. किस्म इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं।

टीका -. बीज अधिनियम 1966 में केवल उन किस्मों का उत्पादन प्रमाणीकरण होता था जो अधिसूचित किस्में थी परन्तु गैर अधिसूचित किस्मों का केवल लेबल बीज, टीएल बीज ही बनता था परन्तु अब नोटीफिकेशन/अधिसूचना का स्थान पंजीकरण ने ले लिया और किस्मों का 100 प्रतिशत पंजीकरण आवश्यक है, हालांकि लेबल सीड पंजीकृत किस्मों का भी बनेगा परन्तु अब बाजार में ठतंदक नाम से बिकने वाली किस्म भारत सरकार या राज्य सरकार जैसा हो पंजीकृत होना आवश्यक अन्यथा बीज कूटनामी है।

8. लेबल पर वास्तविक रजिस्ट्रेशन नम्बर के अतिरिक्त अन्य नम्बर होना।

टीका -. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक किस्म पंजीकृत की जायेगी। प्रत्येक किस्म को एक पंजीकरण नम्बर दिया जायेगा जो भारत सरकार द्वारा बनाए गये रजिस्टर में अंकित होगा। अतः प्रत्येक लेबल पर सही पंजीकरण नम्बर डाला हो अन्यथा बीज कूटनामी कहलायेगा।

9. यदि लेबल पर ऐसी आवश्यक चेतावनी नहीं लिखी होगी जिनका लिखना मानव, पशुए एवं पादप स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हो।

टीका -. यदि उत्पादक ने बीज उपचारित किया है और रसायन

मरक्यूरियल पदार्थ है तो ऐसे बीज के पैकेट के प्रत्येक लेबल पर सूचना लाल रंग में लिखा होना आवश्यक है अन्यथा बीज कूटनामी माना जायेगा।

10. बीज पात्र पर या उसके लेबल पर डीलर के रूप में किसी काल्पनिक व्यक्ति या काल्पनिक कम्पनी का नाम अंकित होना।

टीका-. बीज के कट्टे, थैले, बोरे या पैकेट पर अथवा उस पर लगे लेबल पर विक्रेता के रूप में किसी फर्जी व्यक्ति, फर्जी कम्पनी का नाम अंकित होगा तो वह बीज कूटनामी बीज होगा।

11. बीज इस अधिनियम तथा इसके तहत बने नियमों के अनुसार लेबल नहीं किया गया हो।

टीका-. वर्तमान में लागू बीज अधिनियम के अनुसार विधिवत बीज की लेबलिंग करने की 4 अधिसूचनाएं भारत सरकार ने जारी की हुई हैं उनके अनुसार बीज के पैकेजिंग की लैबलिंग नहीं होती है। नये अधिनियम के अनुसार विधिवत लेबलिंग की पालना न होने पर बीज कूटनामी कहलायेगा।

श्री कृष्णा दुबे की प्रतिक्रिया

हमारे देश- प्रदेश एवं जिले के समस्त कृषि आदान व्यापारी साथियों और बीज उत्पादक कंपनियां व बीज विक्रेता साथियों एवं हमारे किसान भाइयों अभी कुछ समय से या यूं कहूंगा कि पिछले दो माह से हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं जैसे के केंद्रीय कृषि मंत्री और कृषि विभाग से संबंधित उच्च अधिकारी आप सभी के द्वारा कितनी ही बार बीज को बदनाम किया गया है। नकली शब्द से संबोधित करके मैं पूछना चाहता हूं कि नकली की परिभाषा क्या है? नकली उसे कहा जाता है जो वास्तविक जो भी वस्तु है ठीक हुबहू उसी से मिलता-जुलता मिट्टी का रबड़ का लोहे का या अन्य किसी पदार्थ से बनाया हुआ, वह वस्तु है तो उसको नकली कहा जाएगा। यह बीज व्यवसाय में नकली बीज के नाम से संबोधित करना हमारे बीज व्यवसाय को बदनाम करने जैसा है। यदि बीज गुणवत्ता के अनुसार अंकुरण में जो उसका प्रतिशत है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वह अमानक हो गया नकली तो नहीं बोल सकते। जिम्मेदार केंद्रीय कृषि मंत्री से कृषि विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि कृपया यह बीजों के साथ नकली शब्द का प्रयोग न करें।

सम्मेलन में एआई और किसान सशक्तीकरण पर ध्यान

दूर तक फैलेगी महकेगी भारत के चावल की महक अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन में तीन हजार करोड़ का करार

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली।

एआई आधारित देश की पहली चावल छंटाई प्रणाली के शुभारंभ और किसान सम्मान समारोह के साथ, भारत ने भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन (ब्रीक्स 2025) के दौरान कृषि-तकनीक में अपनी ताकत दिखाई है।

सम्मेलन में भारत और दुनियाभर से कम से कम 7800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें वैश्विक खरीदार, निर्यातक, नीति निर्माता और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चावल छंटाई प्रणाली का लाइव प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर 17 भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय आयातकों द्वारा सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने वैश्विक चावल व्यापार में भारत की भूमिका बढ़ाने में अहम योगदान दिया।

नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन के पहले दिन बृहस्पतिवार को 3,000 करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। 2,200 करोड़ के समझौता ज्ञापन बिहार में किए गए हैं, जो कतरनी चावल जैसी जीआई किस्मों पर केंद्रित हैं, जो भारत के चावल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योग.सरकार के बीच मज़बूत सहयोग को दर्शाते हैं। साथ हीए भारतीय और वैश्विक चावल कंपनियों के बीच साझेदारी भी की गई है।

भारत का लक्ष्य इस आयोजन के माध्यम से 1.8 लाख करोड़ रुपये के वैश्विक चावल व्यापार में शामिल होना है। लगभग 25,000 करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा समर्थित इस बैठक में कम से कम 80 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

चावल क्षेत्र के लिए 6 महीने में नया रोडमैप

इस दौरान विशेषज्ञों ने चावल की वैश्विक मांग के पैटर्न, निर्यात विविधीकरण और एक निरंतर चावल आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की उभरती भूमिका पर चर्चा की। साथ ही, वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए चावल क्षेत्र के लिए एक विजन और रोडमैप विकसित करने की एक प्रमुख पहल का शुभारंभ भी हुआ, जिसे अगले छह महीनों के भीतर लागू किया जाएगा। माल ढुलाई की लागत, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और निर्यात लॉजिस्टिक्स में दक्षता की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।

किसानों ने भारतीय चावल को बनाया मूल्यवान

भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम गर्ग ने कहा. किसान भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन की कहानी के केंद्र में हैं। उनके अथक प्रयासों ने भारतीय चावल को दुनिया भर में सबसे अधिक कारोबार और मूल्यवान वस्तुओं में से एक बना दिया है। जैसे.जैसे भारत विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, हमारा सामूहिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान के योगदान को सम्मान और उचित अवसर मिले। एआई.संचालित छंटाई और सटीक प्रसंस्करण जैसी तकनीक के साथ, हम कृषि उत्कृष्टता के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। बीआईआरसी 2025 एक ऐसे मंच के रूप में खड़ा है जहां नवाचार, व्यापार और स्थिरता एक गौरवशाली और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मिलते हैं।

एपीडा और एवं उद्योग निकायों की पहल

दो दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन (बीआईआरसी) 2025 बृहस्पतिविार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ, जो कृषि और निर्यात क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) तथा अन्य सरकारी एवं उद्योग.विशिष्ट निकायों के संस्थागत के इस सम्मेलन में वैश्विक खरीदार, निर्यातक, नीति निर्माता और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग भारत के चावल व्यापार और कृषि नवाचार के भविष्य पर विचार.विमर्श के लिए एक मंच पर आए हैं।उद्घाटन समारोह में चावल उत्पादन में दक्षता, सटीकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई उन्नत मशीनरी और प्रसंस्करण समाधानों का भी प्रदर्शन किया गया।

इन 17 किसानों को किया गया सम्मानित

अंतर्राष्ट्रीय आयातकों द्वारा 17 भारतीय किसानों को वैश्विक चावल व्यापार में योगदान को मान्यता देते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन (बीआईआरसी) 2025 में सम्मानित किया गया। इनमें बहुमूल्य टाइप-3 देहरादूनी बासमती का उत्पादन करने वाले उत्तर प्रदेश के किसान डॉ. मंजुल प्रताप सिंह व अजय सिंह और जम्मू कश्मीर के जफर अहमद भट, जो सुगंधित मुश्कबुद्जी किस्म की विरासत का संरक्षण करते हैं, शामिल थे। मणिपुर के प्रसिद्ध चाक हाओ काले चावल के उत्पादक खंगेनबाम शमुसाबा सिंह, जोहा चावल के लिए विख्यात असम के महान चंद्र बोरा, बिहार के पारंपरिक कतरनी चावल उत्पादक सुबोध चौधरी, केरल के कैपड़ चावल के लिए प्रसिद्ध जनार्दनन करोथ वीटिल और इंदिरा पी और बनमाली पुजारी (ओडिशा) और कोचु कुमार (केरल) को चावल की इंद्राणी किस्म की खेती और जैव विविधता संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है।

बारिश के यू-टर्न से तरबतर हुआ मप्र, लगातार बारिश ने किसानों के अच्छे उत्पादन की टूटने लगी आस

हलधर किसान भोपाल.

मध्य प्रदेश से विदा हो चुका मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है। मानसून के यू-टर्न लेने की वजह से न केवल आसमान से लगातार पानी बरस रहा है, बल्कि किसानों की बेहतर उत्पादन की उम्मीदें बहाते नजर आ रहा है। बे.मौसम बारिश के इस दौर से फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सर्दी का असर भी पहले और ज्यादा तेज रहेगा।

यूं तो आमतौर पर मध्य प्रदेश में अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक मानसून विदा हो जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मानसून रिटर्न देखने को मिल रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि इस सीजन में अच्छी पैदावार होगी, लेकिन बेमौसम बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मौसम विभाग की चेतावनी के बाद किसानों में और चिंता बढ़ गई है कि अगर बारिश का दौर यूं ही जारी रहा तो रबी फसलों की बुवाई भी प्रभावित हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने नए लो- प्रेशर सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में यह बारिश हो रही है। इस सिस्टम से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दोबारा हेवी रेनफॉल दर्ज की जा रही है। बारिश किसानों को बेहतर उत्पादन की उम्मीदों पर भी पानी फेरते नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि इस समय

इन जिलों में लगातार हो रही बारिश

मप्र के धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, आगर-मालवा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में 25 अक्टूबर से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है।

किसान दोहरी मार के शिकार हो रहे है। एक ओर खरीफ की देरी से पकने वाली फसल खेत-खलिहानों में पड़ी खराब हो रही है, वहीं दूसरी ओर रबी की फसलों की तैयारी कर रहे किसानों के लिए यह तेज बारिश मुसीबत बन गई है। अशोकनगर जिले के ईशागढ़ और नईसराय क्षेत्रों में भारी वर्षा से खलिहानों में कटी पड़ी मक्का की फसल तथा व्यापारियों की मंडी में रखी फसल पानी में डूब गई। किसान और व्यापारी पूरी रात फसल को पानी से निकालकर बचाने की कोशिश करते रहे।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक, विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन, जिला खरगोन से प्रकाशित, पिन नं. 451001 (मप्र) संपादक विवेक जैन, RNI No. MPHIN/ 2022/85285. मोबा. नं. 98262 25025, 94254 89337 (सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)